क्रमांकः-लेखा/निलामी/ 1376

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता रेगुलेशन खण्ड-प्रथम हनुमानगढ़

दिनांकः-07.02.2019

निलामी सूचना सं. 01/2018-19

(विस्तृत विवरण वैबसाईट्स पर अपलोड करने हेतु)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस खंड के अधीन इंदिरा गाँधी नहर के मसीतांवाली हैड, एवं लखूवाली हैड पर कुछ शाखाओं के गेट बदले जाने के कारण वहां निम्न विवरणानुसार अनुपयोगी पडे पुराने गेटों की निलामी दिनांक 22.02.2019 को प्रातः 11.00 बजे इस कार्यालय में की जायेगी :-

क्र. सं.	स्थान जहां पुराने गेट पडे हैं	सामग्री का विवरण	अनुमानित वजन		अनुमानित मूल्य	धरोहर राशि
			माईल्ड स्टील	कास्ट आयरन		
1	मसीतांवाली हैड	3 नग माईल्ड स्टील गेट (प्रत्येक का वजन लगभग 1.16 टन)	3.48 टन	-----	2.11 लाख	4,500/-
		3 नग माईल्ड स्टील गेट (प्रत्येक का वजन लगभग 1.66 टन)	4.98 टन	-----		
2	लखूवाली हैड	5 नग माईल्ड स्टील गेट (प्रत्येक का वजन लगभग 1.68 टन)	8.40 टन	-----	2.10 लाख	4,500/-

निलामी की शर्तेः-

1. कोई भी इच्छुक व्यक्ति मौके पर पहुँचकर बोली में शामिल हो सकता है। दूरभाष/तार द्वारा बोली मान्य नहीं होगी।
2. सफल बोलीदाता को नियमानुसार बोली राशि पर जीएसटी एवं आयकर भी इस कार्यालय में जमा करवाना होगा । जिसके लिए उसके पास जीएसटी नंबर एवं पैन नंबर होने चाहिए तथा जिनकी प्रतियां बोली लगाने से पूर्व प्रस्तुत करनी होंगी।
3. प्रत्येक बोलीदाता को बोली देने से पूर्व ऊपर वर्णित धरोहर राशि नगद जमा करवानी होगी, जो कि प्रथम/द्वितीय सफल बोलीदाताओं के अलावा अन्य को उसी दिन निलामी समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जावेगी। धरोहर राशि जमा न करवाने की दशा में बोलीदाता को बोली देने का अधिकार नहीं होगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटते ही बोली की कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी। बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि मय बिक्री कर एवं आयकर के एक सप्ताह के अंदर-अंदर जमा करवानी होगी, अन्यथा 25 प्रतिशत राशि जब्त कर पुनः निलामी की कार्यवाही की जावेगी।
5. बोली स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
6. बोली छूटने के उपरान्त किसी का ऐतराज मान्य नहीं होगा।
7. सफल बोलीदाता द्वारा पूरी राशि जमा करवाने देने पर आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर-अंदर सामग्री मौके से अपने साधन द्वारा ले जानी होगी ।
8. गेटों की निलामी तोल के आधार पर नहीं, बल्कि विभाग द्वारा माने गये अनुमानित वजन के आधार पर जहां हैं, जैसे हैं, की स्थिति में की जायेगी ।
9. निलामी दो अलग-अलग लोट के रुप में की जायेगी ।
10. सामग्री का विवरण निलामी से पूर्व कभी भी मौके पर जाकर देखा जा सकता है। निलामी में भाग लेने से पूर्व यह माना जायेगा कि बोलीदाता द्वारा मौके पर पडी सामग्री का निरीक्षण कर लिया गया है ।

अधिशाषी अभियन्ता
रेगुलेशन खण्ड-प्रथम
हनुमानगढ

क्रमांकः- लेखा/निलामी/

दिनांकः- 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित हैः-

1. श्रीमान मुख्य अभियंता, जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ ।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण सतर्कता एवं रेगुलेशन , इ.गा.न.प. बीकानेर ।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, रेगुलेशन वृत/हनुमानगढ/बीकानेर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, बीएसआर रेगुलेशन खंड हनुमानगढ /जल संसाधन खण्ड-I, जल संसाधन खंड-II, हनुमानगढ/घग्घर बाढ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़/जल संसाधन खंड रावतसर/जल संसाधन खंड सूरतगढ ।
5. सहायक अभियंता, रेगुलेशन उपखंड तलवाडा/लखूवाली/बिरधवाल हैड ।
6. सरपंच ग्राम पंचायत मसीतांवाली /लखूवाली/ ।
7. रोकड लिपिक(कार्यालय हाजा)
8. नोटिस बोर्ड (कार्यालय हाजा)।

अधिशाषी अभियन्ता

Scanned with CamScanner